न्यायालय उप जिला कलेक्टर , बौंली सवाई माधोपुर केम्प पीपलवाडा

पीठासीन अधिकारी –विजेन्द्र कुमार मीना , आर ए एस
प्रा.पत्र संख्या 3/201

1. चिरंजीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति राणा निवासी मांगरोल तहसील बौंली जिला सवावई माधोपुर
2. भरतलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति राणा निवासी मांगरोल तहसील बौंली जिला सवावई माधोपुर

बनाम ......प्रार्थीगण

1. पृथ्वीराज पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी मांगरोल तहसील बौंली
2. हरिसिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति मीना निवासी मांगरोल तहसील बौंली

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

आदेश

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

दिनांक :– 9/8/18

प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूध्द इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी सं.1,2 ग्राम मांगरोल तहसील बौंली के निवासी है। जो प्रार्थीगण से रंजीश रखते है। ग्राम मांगरोल पटवारी हल्का पीपलवाडा तहसील बौंली की जमाबदी सम्बत 2071–2074 की खाता संख्या 18 के ख. नं. 270 रकबा 0.27 है. प्रार्थीगण चिरंजीलाल , भरतलाल पिसरान लक्ष्मीनारायण व मोत्या पत्नि लक्ष्मीनारायण की खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण का शुरू से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। नक्शे के अन्दर प्रार्थीगण की भूमि की सीमाबन्दी दर्ज है। प्रार्थीगण की माता मोत्या का स्वर्गवास हो गया है। इस कारण पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण का खेत ख0 नं. 270 है, इस नम्बर में अप्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं हैं । प्रार्थीगण का पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त हे। वर्तमान में प्रार्थीगण ने सरसों की फसल काश्त कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बिना किसी वैधानिक अधिकार के सरसों की फसल को पैरों से रोंद कर रास्ता बनाने पर आमदा हैं इस कारण वाद पत्र पेश किया जा रहा है । दिनांक 20.11.16 को प्रार्थीगण अपने खेत ख.नं. 270 में सरसों की फसल में पानी पिला रहें थे एवं मेडबंदी, सीमाबंदी की बाढ की देख–रेख कर रहे थे तब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 एक राय होकर प्रार्थीगण के खेत पर आ गये एवं कहने लगे कि हम इस खेत पर काश्त नहीं करने देगें तथा जो सरसों की फसल बो रखी हैं उसे नष्ट कर तुम्हारे खेत में होकर गे0मु0 सडक खनं0 271 तक आने – जोने का रास्ता बनायेगें । फसल काश्त के लिए उपयोग –उपभोग नहीं करने देगें प्रार्थीगण ने कहा कि यह खेत हमारा है हम पूर्वजो के समय से खातेदार – काश्तकार है हमारा कब्जा काश्त है। आप हमें क्यों परेशान करते हो तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हम जबरदस्ती लट्ठ के जोर से तुम्हारे खेत में

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

होकर रास्ता बनायेगें हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी मर्जी पडे व कार्यवाही करों अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रौजाना रास्ता बनाने की धमकी देते है। दिनांक 26.11.16 को अप्रार्थीगण द्वारा हमारे खेत में जबरदस्ती लट्ठ के जोर से रास्ता बनाने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ है जो आज भी जेरेकार है। दौराने वाद यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत में होकर गै0मु0 सडक ख.नं. 271 तक आने जाने का रास्ता निकाल लिया तो प्रार्थीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। प्राइमाफेसाई केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में विशेष विवरण कहा कि प्रार्थीगण के खेत खनं0 270 से लगी हुई सीमा पर ख.नं. 271 गै.मु. सडक डामरीकरण बनी हुई है। जो बौंली से बागडोली सम्पर्क सडक है। प्रार्थीगण आराजी खनं0 270 व अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं0 284 में अप्रार्थीगण ने पानी का कुआ का निर्माण करवा रखा है। जिससे खेतों में पानी देने आदि के काम में लिया जाता है। खं.नं. 271 गै.मु.सडक डामरीकरण से होकर खनं. 270 व 284 की मेड के सहारे अप्रार्थीगण पूर्वजो के समय से ही निकलते है। और ग्राम मांगरोल के निवासी व अन्य काश्तकार भी अन्य खेतों में ख.नं. 284 की मेड के सहारे अप्रार्थीगण पूर्वजो के समय से ही निकलते हे। और ग्राम मांगरोल के निवासी व अन्य काश्तकार भी अन्य खेतो में खनं0 284 व 270 के बीच की मेड के सहारे होकर आते जाते है। अप्रार्थीगण का कुआ खनं0 271 में बनी गै.मु.सडक से लग–भग 35 फिट दूरी पर बना ह। उक्त खनं0 284 व 270 के बीच की मेड के सहारे –सहारे पूर्वजो के समय से आते जाते है। खनं0 284 पर बने कुऐं पर इंजन पाईप आदि भी इस विवादग्रस्त आराजी इस विवादग्रस्त आराजी खनं0 270 की मेड पर ही होकर लाते ले जाते हे। अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि में रोड सेक्शन होने का मुआवजा भी प्रार्थीगण ने प्राप्त कर लिया है। खनं0 270 में किसी प्रकार से अप्रार्थीगण द्वारा कोई फसल को नुकसान नहीं पहुचाया जाता है। मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से प्रार्थीगण ने यह झूंठा व मनगढंत प्रार्थना पर पेश किया हे। जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया ।प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी को अपने पक्ष में निम्न तीन बिन्दु सिध्द करने होते हैं जिनकी विवेचना हम निम्न प्रकार करते हैं ।

प्रथम दृष्टया केस :–विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि खसरा नम्बर 270 मेरी खातेदारी भूमि है। जिसपर प्रार्थी का कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया हम यह पाते है कि आराजीयात मुतनाजा प्रार्थी की कब्जेकाश्त की आराजी है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीयान के पक्ष में साबित पाया गया हैं जिसमें विस्तृत विवेचन किया गया है। उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में हम यह

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

पाते है कि आराजीयात मुतनाजा पर वादी प्रार्थीयान का कब्जा है। यदि प्रार्थी अपने हको से महरूम हो जायेगा। इस प्रकार प्रार्थीयान को नाकाबिले क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध पाया गया।

आदेश

उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीयान स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा अन्यथा अन्य आदेश इस आशय के लिए पाबन्द किया जाता है कि गै.मु सडक खंनं. 271 तक आने –जाने के लिए अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत खंनं. 270 में होकर किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकाले एवं प्रार्थीगण के कब्जे– काश्त व उपयोग –उपभोग में किसी प्रकार की बाध न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से बाधा उत्पन्न करावे।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

आदेश आज दिनांक 20/6/18 को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प पीपलवाडा में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया ।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.
(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner